न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 96/2017

रामप्रसाद पुत्र श्री मूलचंद जाति खाती निवासी जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते-वादी
Web Copy - Not Official

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

—प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी :— श्री अजीत कुमार जैन

दायरा दिनांक: 14.12.2017

निर्णय दिनांक : 08.01.2019

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है वादी कब्जे काश्त की आराजी वाके माल जलोदा तेजाजी की साबिक खसरा नं0 39 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं0 441 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा जमाबंदी सम्वत 2034—37 में दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नं0 627 रकबा 1.11 है0 दर्ज किये गये। इस प्रकार दौराने सेटलमेंट वादी की आराजी में 0.33 है0 रकबा कम दर्ज कर दिये गये। जबकि वादी पूर्व के अनुसार ही आज तक अपनी आराजी पर काबिज काश्त होकर काश्त करता चला आ रहा है। सेटलमेंट अधिकारियों ने गत रकबे अनुसार रकबा दर्ज नही किया ओर वादी के रकबे में 0.33 है0 की कमी कर दी है जिसको दुरूस्त करवाने का वादी अधिकारी व नालिसी है। अतः निवेदन है कि वादी के खाते की आराजी ग्राम जलोदा तेजाजी की आराजी खसरा नं0 627 रकबा 1.11 है0 में दौराने सेटलमेंट की गयी कमी रकबे 0.33 है0 की पूर्ति की जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 14.12.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है से तथ्यात्मक/मौका रिपोर्ट ली गयी। प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल (लेण्ड होल्डर) ने दिनांक 04.01.2019 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थी रामप्रसाद पुत्र श्री मूलचंद खाती की आराजी साबिक खसरा नं0 39 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा खसरा नं0 441 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा जमाबंदी सम्वत 2034—37 में दर्ज रेकार्ड है। उपरोक्त खसरा नं0 441 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा के हाल खसरा नं0 627 रकबा 1.11 है0 है। पूर्व रेकार्ड अनुसार रकबा कम पाया गया है लेकिन आस पास के खसरों की जांच की गई। जांच में रकबा पूर्ति करना संभव नही है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। फाईनल बहस वकील वादी एवं प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल दिनांक 08.01.2019 को सुनी गई। बहस में वकील वादी ने वादपत्र में अंकित कथनो का एवं प्रतिवादी ने अपने जवाब में अंकित कथनो को ही दोहराया है। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। अतः सुनी गयी बहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट के आधार पर वादी की आराजी मुताबिक पूर्व जमाबंदी साबिक खसरा नं0 441 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा के हाल खसरा नं0 627 रकबा 1.11 है0 है। जो वर्तमान आराजी में 0.33 है0 कम पाया जाता है। तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 17.05.2018 के अनुसार रकबा कम पाया जाता है लेकिन वादी ने कथन किया है कि मौके पर रकबा 0.33 है0 पूरा है केवल राजस्व रेकार्ड में अंकन नही की गई है। जो भू–प्रबंध अधिकारियों ने किया है जो कि सेटलमेंट को अधिकार नही होने से ग्राम जलोदा तेजाजी की आराजी खसरा संख्या 627 में 1.11 है0 के राजस्व रेकार्ड में (मौके पर रकबा पूरा मौजूद होने से) खसरा नं0 627 का रकबा 1.11 है में 0.33 है0 की पूर्ति किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन